फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मांगीलाल | **विपक्षी :– लालुराम**

किस्म मुकदमा – 75 भू रा.अधि. | **पत्रावली संख्या : 12/24**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 19.05.2025	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बहस सुने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में ग्राम पंचायत बासंलिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 निरस्त कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.05.2012 निर्णय पारित ग्राम पंचायत भीमल द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 को निरस्त किया गया तथा ग्राम पंचायत बांसलिया को पुनः सुनवाई कर निर्णय की रोशनी में आदेश पारित करने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय की अपील श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर के यहां की गई। श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 01.05.2012 को निरस्त कर दिया गया। जिसकी अपील श्रीमान निबंधक महोदय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई। जहां अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर का निर्णय दिनांक 20.11.2013 को निरस्त कर अपीलाण्ट के नाम भूमि दर्ज करने का निवेदन किया। श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय का निर्णय दिनांक 20.11.2013 एवं न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 01.05.2012 निरस्त किये जाकर पत्रावली इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की गई की पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2024 की वैधानिकता की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री का आदेश पारित करें।

पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया हैं। अपीलाण्ट का कथन है कि सुखलाल द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 16.10.92 को गोद पत्र मय वसीयत निष्पादित कर अपनी अंगुठा निशानी कर दी है। ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित कर द्वितीय श्रेणी के वारिसान के नाम भूमि दर्ज की गई थी। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट को सुनना चाहिए था। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट को सुनकर निर्णय पारित करता तो निश्चय ही उक्त भूमि/गोदनामा/वसीयत के संबंध में विवाद अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

के समक्ष आता। इस कारण से उक्त नामान्तरकरण विवादित था विवादित नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था।

इस सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि यदि उत्तराधिकार या अन्तरण या अन्य प्रकार से अवधि विवादास्पद हो तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रभावशाली किसी अन्य विधि के अन्तर्गत सक्षम हो, विधि के अनुसार ऐसे विवाद का निर्णय करेगा और यदि इस प्रकार सक्षम न हो तो विवाद को किसी अन्य अधिकारी के पास, जो निर्णय देने में सक्षम हो, भेज देगा।

इस प्रकरण में भी ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तहसीलदार को प्रेषित करना चाहिए था। तहसीलदार को उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत् प्रकरण दर्ज कर हितबद्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिवक्ता उभय पक्षकारान भी उक्त विवादित नामान्तरकरण खारिज करवा पुनः नए सिरे से नामान्तरकरण पारित करवाना चाहते है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया था उक्त राजीनामे पर सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर नही होने से राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया जाना संभव नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बांसलिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 452 दिनांक 26.09.2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार मावली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारो को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित कर नए सिरे से नामान्तरकरण पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested